>

Title: Need to amend laws pertaining to acquisition of forest and agricultural land keeping in view the welfare of people dependant on land for their livelihood.

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): देश में जंगलों से सटे इलाकों में किसानों की खेती की जमीन वन विभाग द्वारा अधिग्रहण की जा रही है। जिसके कारण इलाके के किसानों में तीव्र आक्रोश है। किसानों के जमीन के कागजात पूर्वजों के नामों पर ही है। संयुक्त परिवार और फिर परिवार के कई टुकड़े होने के बाद जमीन का बंटवारा तो हो जाता है लेकिन उस जमीन के कागज तो पूर्वजों के नाम पर ही है। जंगलों से सटे इलाके में किसानों के खेती की जमीन को वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। खेती के अलावा किसानों को कोई रोजगार नहीं है। जो कुछ जमीन है, अगर उसे अधिग्रहित कर लिया जाएगा तो किसानों के परिवारों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

अतः सरकार से मैं मांग करता हूं कि वन भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए जाएं और वन विभाग द्वारा किसानों की खेती की जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए।